न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सीकर
पीठासीन अधिकारी मुकुल शर्मा, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या : 05/2024 अन्तर्गत प्रतिभूति–हित का प्रर्वतन अधिनियम 2002

रिलायंस असेट री–कन्सट्रेक्शन कम्पनी लिमिटेड, रजिस्टर्ड कार्यालय 11 तल, नोर्थ साइड, आर–टेक पार्क वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, गोरेगांव (ईस्ट), मुम्बई–400063

–प्रार्थी (प्रतिभूति लेनदार)

बनाम

1. **घनश्याम सोनी पुत्र ओंकार मल सोनी,** निवासी सुनारों का मोहल्ला, बठोठ, लक्ष्मणगढ़, सीकर, राज.–332312
2. **रामी देवी सोनी पत्नि घनश्याम सोनी,** निवासी सुनारों का मोहल्ला, बठोठ, लक्ष्मणगढ, सीकर, राज.–332312
3. **विजय कुमार सोनी पुत्र घनश्याम सोनी,** निवासी सुनारों का मोहल्ला, बठोठ, लक्ष्मणगढ़, सीकर, राज.–332312
4. **निर्मल कुमार सोनी पुत्र घनश्याम सोनी,** निवासी सुनारों का मोहल्ला, बठोठ, लक्ष्मणगढ़, सीकर, राज.–332312
5. **पवन कुमार सोनी पुत्र घनश्याम सोनी,** निवासी सुनारों का मोहल्ला, बठोठ, लक्ष्मणगढ़, सीकर, राज.–332312
6. **राजेश कुमार पुत्र ओंकार मल,** निवासी सुनारों का मोहल्ला, बठोठ, लक्ष्मणगढ़, सीकर, राज.–332312

–अप्रार्थीगण (ऋणी/बंधककर्त्ता)

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002.

निर्णय

दिनांक: 04.11.24

1. प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता **श्री विकास सिंह शेखावत** द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 6 क्रमशः **घनश्याम सोनी पुत्र ओंकार मल सोनी, रामी देवी सोनी पत्नि घनश्याम सोनी, विजय कुमार सोनी पुत्र घनश्याम सोनी, निर्मल कुमार**

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट सीकर (राज.)

(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

सोनी पुत्र घनश्याम सोनी, पवन कुमार सोनी पुत्र घनश्याम सोनी एवं **राजेश कुमार पुत्र ओंकार मल** की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी **घनश्याम सोनी पुत्र ओंकार मल सोनी** के स्वामित्व की बंधक अवासीय सम्पत्ति **पट्टा संख्या 34, ग्राम बठोठ, पंचायत समिति लक्ष्मणगढ़, जिला–सीकर (राज.)** में स्थित है। जिसका **कुल क्षेत्रफल 253.59 वर्गगज** है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं– उत्तर दिशा में नानूराम का मकान, दक्षिण दिशा में रास्ता 18 फिट, पूरब दिशा में सुरेन्द्र का मकान एवं पश्चिम दिशा में आम रास्ता है। उक्त सम्पत्ति को बंधक रखकर रू. 3,50,000/– (अक्षरे तीन लाख पचास हजार) एवं रू. 1,50,000/– (अक्षरे एक लाख पचास हजार) कुल **रू. 5,00,000/– (अक्षरे रूपये पांच लाख)** की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक **09.08.2023** को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक सम्पति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलंब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई। ऋणी/अप्रार्थी संख्या 1 स्वयं उपस्थित हुए।

3. पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना में सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।

4. प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक **09.08.2023** को धारा 13(2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है जिसकी अप्रार्थीगण ऋणी की प्राप्ति रसीद (Acknowledgement) की फोटो प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई है।

5. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट सीकर (राज.)

(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

संख्या 1 ता 6 क्रमशः **घनश्याम सोनी पुत्र ओंकार मल सोनी, रामी देवी सोनी पत्नि घनश्याम सोनी, विजय कुमार सोनी पुत्र घनश्याम सोनी, निर्मल कुमार सोनी पुत्र घनश्याम सोनी, पवन कुमार सोनी पुत्र घनश्याम सोनी** एवं **राजेश कुमार पुत्र ओंकार मल** की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी **घनश्याम सोनी पुत्र ओंकार मल सोनी** के स्वामित्व की बंधक अवासीय सम्पत्ति **पट्टा संख्या 34, ग्राम बठोठ, पंचायत समिति लक्ष्मणगढ़, जिला–सीकर (राज.)** में स्थित है। जिसका **कुल क्षेत्रफल 253.59 वर्गगज** है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं– उत्तर दिशा में नानूराम का मकान, दक्षिण दिशा में रास्ता 18 फिट, पूरब दिशा में सुरेन्द्र का मकान एवं पश्चिम दिशा में आम रास्ता है। उक्त बंधक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु प्रार्थी वित्तीय संस्था को पुलिस इमदाद जरिये पुलिस अधीक्षक सीकर द्वारा प्राप्त किये जाने के आदेश प्रकरण अथवा बंधक सम्पत्ति पर किसी दिगर न्यायालय का स्थगन नहीं होने की शर्त पर दिये जाते हैं। उक्त आदेश की पालना हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व न्यायालय आदि का भुगतान नियमों में देय है, जो सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा वहन किया जावेगा।

6. आदेश आज दिनांक 04.11.24 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट सीकर (राज.)

(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर